

शैलेश बगौली,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,  
आहरण वितरण अधिकारी,  
उत्तराखण्ड शासन।

सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुभाग-01

देहरादून :दिनांक सितम्बर, 2022

विषय:- बी0एस0एन0एल0 के माध्यम से स्थापित कनेक्टिविटी चार्जस के बिलों के भुगतान हेतु अनुदान संख्या-23 के लेखाशीर्षक 3425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 60-अन्य, 600-अन्य व्यय, 03-क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क (स्वॉन का क्रियान्वयन), 56-सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) मद से बजट अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, आई0टी0डी0ए0, देहरादून के पत्र संख्या-1/8201/2022, दिनांक 18.08.2022 के क्रम में बी0एस0एन0एल0 के माध्यम से स्थापित कनेक्टिविटी चार्जस के बिलों के भुगतान हेतु अनुदान संख्या-23 के लेखाशीर्षक 3425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 60-अन्य, 600-अन्य व्यय, 03-क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क (स्वॉन का क्रियान्वयन), 56-सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) मद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राविधानित धनराशि ₹1615.00 लाख (रु० सोलह करोड़ पन्द्रह लाख मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रु० 1419.70 लाख (रु० चौदह करोड़ उन्नीस लाख सत्तर हजार मात्र) में से द्वितीय किश्त के रूप में **धनराशि रु० 467.00 लाख (रु० चार करोड़ सड़सठ लाख मात्र)** निम्नलिखित शर्तों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने तथा व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- I. उक्त धनराशि आहरित कर निदेशक, आई0टी0डी0ए0 को उपलब्ध करा दी जायेगी तथा निदेशक आई0टी0डी0ए0 द्वारा आहरित धनराशि का व्यय वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप ही किया जाएगा।
- II. तकनीकी प्रकृति के कार्य के निर्धारण के सम्बन्ध में Specifications निर्धारित करते समय आवश्यकतानुसार ही Norms निर्धारित किये जाये तथा प्रतिस्पर्धा को प्रमोट करते समय Rigidity से बचा जाये एवं Rate Reasonability और Economy/मितव्ययता के सम्बन्ध में यथालागू वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- III. धनराशि का व्यय करते समय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- IV. धनराशि व्यय करते समय उत्तराखण्ड में लागू उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/नियमों के अधीन समस्त प्रक्रियाएं पूर्ण की जाएंगी।
- V. स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र उपयोग/विचलन कदापि न किया जाए।
- VI. धनराशि व्यय करते समय वित्तीय नियमों, बजट मैनुअल के प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययता सम्बन्धी नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

कमशः पृष्ठ-2

- vii. आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय का उपयोगिता प्रमाण-पत्र दिनांक 31.03.2022 तक शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।
- viii. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-23 के लेखाशीर्षक 3425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 60-अन्य, 600-अन्य व्यय, 03-क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क (स्वॉन का क्रियान्वयन), 56-सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन), के नामे डाला जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-391/9(150)2019/XXVII(1)/2022 दिनांक-24.06.2022 के प्रस्तर-07 में निहित प्राविधानों के क्रम में तथा बजट आवंटन अनुदान सं0-23 के अलॉटमेन्ट आई0डी0 सं-S22090230003, दिनांक: 27.09.2022 के द्वारा जारी किए जा रहा है।

भवदीय,

Signed by Shailesh  
Bagauli

(शैलेश बगौली) 22 14:57:01

सचिव।

#### संख्या एवं दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्तीय सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, आई0टी0डी0ए0, देहरादून।
4. केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
5. सचिवालय प्रशासन, लेखा, उत्तराखण्ड शासन।
6. वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड फाईल।

(शैलेश बगौली)  
सचिव।